

**फर्द अहकाम
(नियम 15)**

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजारखेड़ा
 द्वारा तहसीलदार राजारखेड़ा बनाम
 किस्म मुकदमा 136 LR Act सन्
 आय

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये |
|---------------|--|--|
| 5/01/20 | आज यह गर्बना पत्र तहसीलदार राजारखेड़ा की ओर से अर्द्धाधिकार 136 LR Act धरुकर किम्पगारा गर्बना पत्र दर्ज शर्षिलर डोकर पत्रवली वास्तु गौर दिनांक 8/2/20 को पत्र है। | |
| 8/2/20 | <p>पत्रवली आप पत्र दुर्षी गर्बना पत्र एक धरुकर इस्तेमाल का अवलोकन किया गया। तहसीलदार राजारखेड़ा द्वारा 136 LR Act के अन्तर्गत पत्र किया गया है कि तहसीलदार राजारखेड़ा के राजस्व ग्राम जुगईपुरा व डोरा की वर्तमान जमावगी है। दिनांक के मुताबिक ख. नं. 2188 दोनो राजस्व ग्रामों गरीबों के जमीन का लक्ष्य ग्राम फरासपुर, जुगईपुरा, डोरा, वाइरीफापुरा का एक ही है, जिसमें ख. नं. 2188 मौजूद है। मिशाल बन्देवतु ग्राम 2022 राज जुगईपुरा में ख. नं. 2188 को ग्राम डोरा में होना बताया है एक ग्राम डोरा की मिशाल बन्देवतु में ख. नं. 2188 को ग्राम जुगईपुरा में होना बताया गया है, लेकिन दोनो राजस्व ग्रामों की मिशालों को देखने पर पाया गया कि ख. नं. 2188 दोनो राजस्व ग्रामों की मिशालों में मौजूद नहीं है। राजस्व ग्राम डोरा की मिशाल के लक्ष सं. 77 पर (वसत) नं. 2189 रकबा 1.15 बीघा गैर मु. नाला अर्द्धाधिकार है तब वर्तमान जमावगी के लक्ष सं. 1 में भी (वसत) नं. 2189 रकबा 1.15 बीघा गैर मु. नाला अर्द्धाधिकार है तब ग्राम जुगईपुरा की मिशाल के लक्ष सं. 14 में (वसत) नं. 2189 रकबा 1.00 बीघा वारान्ति दोमम (वाइरीफा) में है तब गालू जमावगी के लक्ष सं. 30 में भी (वसत) नं. 2189 रकबा 1.00 बीघा वारान्ति दोमम (वाइरीफा) में अर्द्धाधिकार है। जमावगी लक्ष सं. 2188 व 2189 दोनो ख. नं. अर्द्धाधिकार है तब</p> | |

उपखण्ड अधिकारी
राजारखेड़ा (धौलपुर)

| | | |
|---------------|---------------------------------|--|
| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये |
|---------------|---------------------------------|--|

अलग अलग आदेशों में सुनाया है। ख. नं. 2188 का
रफ्तार करती करने पर 1.00 बीघा सिम्पल है जो
राम पुगडपुर के ख. नं. 2189 के रफ्तार के बराबर
है एवं नफ़्तार में भी आदेश ख. नं. 2189 गाल
बना हुआ है तब राम 5 मंथरी जमाकरी में ख. नं.
2189 रफ्तार 1.15 बीघा गैर मुसफिन नाल्य है इस
पुकार उपरोक्त रफ्तार के आधार पर राम पुगडपुर
के ख. नं. 2189 रफ्तार 1.00 बीघा के स्थान पर
ख. नं. 2188 रफ्तार 1.00 बीघा सिम्पल भात के
आदेश दिनांक 10/1/82 में विवेक सिम्पल है।

इसने उपरोक्त रफ्तार पर गैर सिम्पल
रफ्तार गैर सिम्पल का अन्वेषण सिम्पल
यह एक सिम्पलीय है तब धारा 136 2R
Act के तहत काबिल हुआ है इन्हीं इम
उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में सुद्ध सिम्पल
जाना उचित समझा है।

इस आदेश को प्रथम पर उपरोक्त
धारा 136 2R Act के तहत सिम्पल जाकर
आदेश सिम्पल जाता है कि राजस्व राम पुगडपुर
के राजस्व रिकॉर्ड नफ़्तार लंबा एव जमाकरी में
रुज आ. नं. 2189 रफ्तार 1.00 बीघा के सुद्ध
सिम्पल जाकर ख. नं. 2188 रफ्तार 1.00 बीघा
रुज सिम्पल जाने के आदेश सिम्पल जा रहे है।
सिम्पल की गरी वाजना है 1 इमीलदार
शेफाके का भेजा जावे। परतली फसल
सुमार दोफर वाद तफमील काबिल
दफ्तार है इन्कम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)